तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11/8/08	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना 151 CPC का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी के प्रार्थना 151 CPC पर सुना गया। स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र [illegible] पर [illegible] कि [illegible] सुनी [illegible] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 A में स्वीकार किया जाता है विवाद निर्णय [illegible] के लिए जाकर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली पेश [illegible] तारीख से [illegible] पत्रावली [illegible] को उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
154 / 2025	07.07.2025	11.03.2026

अनुवान

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी मुण्डनवाडा कलां हाल निवासी मकान नम्बर 21 शास्त्री नगर मैडिकल कालोनी मन्नाका रोड, दाउदपुर अलवर, राज0।
2. रामावतार
3. सुरेशचन्द पुत्रान रमेशचन्द्र
4. विशाल पुत्र रमेशचन्द जातियान ब्राहमण निवासीयान मुण्डनवाडा कलां तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: प्रार्थी

बनाम

1. रामप्रताप उर्फ लाला
2. सत्यनारायण पुत्रान बनवारीलाल
3. प्रदीप
4. राहुल पुत्रान दिनेश कुमार
5. आशा
6. सोना पुत्रीयान दिनेश कुमार जातियान ब्राहमण
7. रामकलां पत्नी दिनेश कुमार जाति ब्राहमण निवासीयान मुण्डनवाडा कलां तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
8. गोपालसिंह यादव पुत्र होशियार सिंह जाति अहीर निवासी मोलावास तह0 मुण्डावर
9. दुलीचन्द यादव पुत्र चिरजीलाल जातियान अहीरान निवासीयान मुण्डनवाडा कलां तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
10. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
11. उप पंजियक महोदय, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णय:–

दिनांक :– 11.03.2026

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रहा कि :–

1. यह हे कि वादीगण उपरोक्त पते के स्थायी निवासी है और कानून में आस्था रखने व कानून का सम्मान करने वाले व शान्तिप्रिय प्रकृति के व्यक्ति है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

2. यह है कि वादीगण खसरा नम्बरान 324 रकबा 0.24 है0, व ख0न0 322 रकबा 0.13 है०, वाके ग्राम मुण्डनवाडा कलां के मुताबिक राजस्व रिकॉड निरपेक्ष रूप से स्वामी व खातेदार है, जो इनकी पैत्रिक व दादालाई की कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी है। जिसका नक्शा व हाल जमाबन्दी संलग्न है।
3. यह है कि खसरा नम्बरान 322 व 324 वादीगण के पूर्वजों के कब्जेकाश्त व खातेदारी व उनके स्वामित्व की होने के कारण वादीगण को विरासत में प्राप्ति के कारण उक्त खसरा नम्बरान राजस्व रिकॉड में वादीगण के नाम दर्ज किये गये है और हाल जमाबन्दी में रिकॉडेड खातेदार है।
4. यह है कि वादीगण के उक्त खसरा नम्बरान 324 व 322 प्रतिवादीगण के ख०न० 335 के पश्चिमी डोल से लगते हुये है एवं खसरा नम्बरान 324 व 323 में आने जाने का विधिक माध्यम रास्ता एकमात्र ख०न० 335 से ही गुजरना आवश्यक है।
5. यह है कि वादीगण स० 1 ल० 3 के पिताजी व वादी स० 4 के दादाजी स्वर्गीय रामचन्द्र पुत्र बालमुकुन्द शर्मा ने प्रतिवादी स० 1 व 2 के पिताजी व प्रतिवादी स० 3 ल० 6 के दादाजी व प्रतिवादी स० 7 के ससुर स्व० बनवारीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण से उसके स्वामित्व के खसरा नम्बर 335 रकबा 0.25 हेक०, में से 11 फुट चौडा व 150 फुट लम्बा करीब 14 बिस्वा बाबत सस्ता खसरा नम्बर 322 व 324 में जाने हेतु मौखिक कुरार के आधार पर मुबलिंग 10,000/रू0 में बनवारीलाल को दिनांक 5/6/1984 को नगद भुगतान करके खरीद किया था।
6. यह है कि मुताबिक सौदे मुबलिंग 10,000/रू० वादीगण स० 1 ल० 3 की मौजूदगी में उनके पिताजी स्व० रामचन्द्र पुत्र बालमुकुन्द ने स्व० बनवारीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण से दिनांक 5/6/1984 को उसके खेत ख0न0 335 पर ही नगद चुकता करने व बाद प्राप्ति मुबलिंग रकम 10,000/रू० बनवारीलाल ने मोके पर ही रामचन्द्र को उपरोक्त वादीगण स० 1 ल० 3 व कुछ ग्रामीणो की मौजूदगी में उसके ख0न0 335 की दक्षिणी डोल की तरफ लगभग ख0न0 335 के मध्य विवादित रास्ता ऐ से बी वसी से डी भाग जो ख०न० 324 की पूर्वी डोल से लगता हुआ है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आने जाने हेतु 11 फुट चौडा व 150 फुट लम्बा (रकबा करीब सवा बिस्वा) का रास्ता ख०न० 324 व 322 में बाबत आने जाने हेतु मौके पर निशानात लगाकर पत्थर गाडे गये और मुताबिक तय सौदा रास्ता नियत किया गया था व वादीगणो के आवागमन हेतु रास्ता बाबत उक्त रास्ते की भूमि का वादीगणों को कब्जा सोप दिया गया था।
7. यह है कि प्रश्नगत खसरा नम्बर 335 में नियत रास्ता में नियत रास्ते के पूर्व दिशा में गांव का आम रास्ता व पश्चिम दिशा में वादीगणों के ख० नम्बरान 324 व 322 दक्षिण दिशा में मकानात धर्मवीर, चन्द्रशेखर वगै० उत्तर दिशा मकानात प्रदीप, राजकुमार, व राजेश वगै० के स्थित है।
8. यह हे कि बाद प्राप्ति मौका कब्जा, वादीगण स० 1 ल० 3 व उसके पिताजी ने मुताबिक नियत रास्ता निशानात पर पत्थर डलवाकर अपना नियत रास्ता की खरीदशुदा भूमि पर पक्की चारदिवारी करके व लोहे का गेट लगाकर उक्त रास्ते का खरीद, व मौके पर कब्जे के दिन से ही उक्त रास्ते का अपने खसरा नम्बरान 324, 322 में आवागमन बाबत बिना किसी रूकावट आपत्ति, बाधा, मजाहमत, दखलअंदाजी के निर्बाध व निरपेक्ष स्वतंत्र रूप से अनवरत व निरन्तर आने जाने के रूप में उपयोग व उपभोग करते आ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
पुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

9. यह है कि बनवारीलाल ने उक्त रास्ते का सौदा रामचन्द्र से मौखिक, अभिव्यक्त, विवक्षित/गर्भित व वचनबद्ध के स्पष्ट भाव से किया था और रामचन्द्र व वादीगण स० 1 ल० 3 को पूर्ण रूपेण नेक नियति व पाकसाफ भाव से आश्वस्तत किया था कि उक्त रास्ते के रकबे का बैयनामा जब भी केता चाहेगा, व अपने हक में बैयनामा करवाने को कहेगा तो मुताबिक तय सौदे व बचनबद्धता के आधार पर बिना किसी आपत्ति बाधा, बेईमानी, बदयान्ति, ऐतराज, व बिना किसी अतिरिक्त मांग के तुरन्त केता के नाम में उक्त रास्ते की भूमि के रकबे का वैयनामा करा दूँगा और उसने वैयनामा कराने के लिये कभी भी मना नही किया था एवं उक्त समस्त सौदे व कब्जे की पूर्णरूपेण जानकारी समस्त असल प्रतिवादीगण को सदैव से रही है।.

10. यह है कि बनवारीलाल ने अपने जीवनकाल में उक्त रास्ते के रकबे की भूमि का बैयनामा मुताबिक सौदा केता के हक में करवाने के लिये सदैव आश्वासन देता रहा और कभी भी बैयनामा करवाने से मना नहीं किया, चूँकि ये समस्त वाक्यात असल प्रतिवादीगण की जानकारी में हमेशा से रहे है, क्योंकि बनवारीलाल हमेशा कहता था कि मैने रामचन्द्र से तयशुद्वा करार/विकय की समस्त रकम प्राप्त कर ली है व मुताबिक तय सौदा क्रेता को नियत किये गये व खरीद किये गये तथा निशानात लगाये गये रास्ते के रकबे का भौतिक कब्जा भी दे दिया है तथा उनको अपने खरीद किये गये रास्ते का निर्बाध निपरेक्ष व स्वतंत्र रूप से उपयोग व उपभोग करने का पूरा पूरा हक हकूक व अधिकार है, चूंकि उक्त समस्त वाक्यात की जानकारी प्रारम्भ के दिन से ही असल प्रतिवादीगण को पूर्णरूपेण थी, लेकिन असल प्रतिवादीगण ने उस दिन से आज तक किसी भी प्रकार की कोई बाधा/रूकावट/आपत्ति/मजाहमत/दंखलअंजी नहीं की है व प्रतिवादीगण की जानकारी में उक्त रास्ते बाबत सभी वाक्यात पूर्णरूपेण थे, लेकिन फिर भी उन्होने आज तक उक्त रास्ता बाबत कही भी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत या आपत्ति या दावा दर्ज नहीं किया है। जबकी बनवारीलाल की फौतगी के बाद उनके विधिक वारिसान हाल प्रतिवादीगण के नाम में प्रश्नगत ख०न० 335 का विरास्त के रूप में राजस्व रिर्कोड में उनके नाम दर्ज हुआ तो बाद इन्तकाल प्रतिवादीगणों को उक्त रास्ते के रकबे का बैयनामा वादीगण के हक में करवाने को कहा तो उन्होने कभी मना नही किया और वैयनागा वादीगण के हक में करवाने का सदैव आश्वासन देते रहे, लेकिन दिनांक 2/7/2025 को बैयनामा करवाने से प्रतिवादीगणों ने साफ साफ इंकार कर दिया। इसलिए उक्त आराजी ख0न0 335 में स्थित रास्ता 11 फुट चौडा व 150 लम्बा को रास्ता घोषित किया जाकर, रास्ता को राजस्व रिर्कोड में दर्ज कराया जावे। इसलिए दावा घोषणात्मक व्यादेश का पेश किया जा रहा है। जबकी प्रतिवादीगण प्रारम्भसे आज तक विवादित रास्ते बाबत वादीगणों को अपने उपयोग उपभोग में लेते हुये निरन्तर देखते आ रहे है और ना ही प्रतिवादीगणों ने उक्त उपयोग उपभोग बाबत व उनके कब्जे के रास्ते बाबत कही भी किसी भी प्रकार की कही भी व किसी भी व कभी भी कोई आपत्तिधशिकायतध्दावा दर्ज नही किया है। इसलिए विवादित रास्ते को वादीगणों के हक में स्थाई व विधिक रास्ता घोषित करके व रिर्कोड में रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमाये जाने बाबत धारा 88, 251क के तहत विधिक की सुस्थापित न्यायिक प्रक्रिया अमल में लायी जाने हेतु दावा दायर करना लाजिमी हो गया है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

11. यह है कि मिन वादीगण अपने पूर्वज रामचन्द्र द्वारा खरीद किये गये रास्ते की भूमि पर उनके जीवनकाल में ही पक्की चारदिवारी करवाकर व लोहे का गेट लगाकर रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करने की प्रतिवादीगणो को प्रारम्भ से ही जानकारी थी व वादीगणं खुल्मखुल्ला आवागमन करते आ रहे है, लेकिन अब दिनांक 2/7/2025 को प्रतिवादीगण एकराय होकर मिन वादीगण के रास्ता में आवागमन में बाधा पैदा की, जिस पर मिन वादीगण ने मना किया तो प्रतिवादीगण ने धमकी दी है कि उक्त रास्ता हम प्रतिवादीगण की आराजी में से है, जिसको अब हम बन्द करके रहेगे तथा तुम्हे रास्ता से आवागमन नहीं करने देंगे व उक्त भूमि का अन्यत्र बेचान कर देगे। बस यही वाद हेतु बिनायदावी व विनायमुखास्मत पैदा होती है। यदि वाकई प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादों में कामयाब हो गये तथा राजस्व रिर्कोडस में दर्ज अपने नाम का बेजा फायदा उठाकर मिन वादीगण के खरीदशुदा रास्ता को बन्द कर दिया तथा मिन वादीगण को रास्ता से आवागमन नहीं करने दिया तो मिन वादीगण को नापूर्ती होने वाली क्षति होगी, चूँकि मिन वादीगण के अधिकार कानून द्वारा रक्षित व सुरक्षित है। इसलिए मिन वादीगण अपने हक व अधिकारों की रक्षार्थ प्रतिवादीगण को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है। चूँकि वादीगणों को अपने खसरा नम्बरान 324, 322 में आने जाने का एकमात्र यही रास्ता है और वादीगण ने इसीलिए प्रश्नगत भूमि/रकबा विशेषकर बाबत रास्ता खरीद किया था, क्योंकि धारा 88 व 251क राज0 काश्त0 अधि0 की सुव्यवस्था के तहत भी वादीगणो का विधिक व अधिकार बाबत रास्ता नियत है।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :–
अतः वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे–

(अ) यह है कि डिकी घोषणात्मक व्यादेश की इस प्रकार से पारित की जावे कि मिन वादीगण की आराजी ख0न0 324 रकबा 0.24 है0, व ख0न0 324 रकबा 0.13 है0, वाके ग्राम गुण्डनवाडा कलां के आवागमन का रास्ता, जो मिन वादीगण के पिता श्री रामचन्द्र ने प्रतिवादीगण के पिता बनवारीलाल से मुबलिंग 10,000/रू० में दिनांक 5/6/1984 में आराजी ख०न० 335 रकबा 0.25 हैक0 में से 11 फुट चौडा व 150 फुट लम्बा खरीद किया था तथा वक्त खरीद से आवागमन करते आ रहे है, अतः उक्त ख०न० 335 में स्थित रास्ता का पुख्ता रास्ता घोषित किया जाकर, राजस्व रिकॉड में रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

(ब) यह है कि डिकी हु० ई० दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वो आराजी ख0न0 335 रकबा 0.25 है0, वाके ग्राम मुण्डनवाडा कलां तह0 मुण्डावर मे स्थित पूर्वनुसार रास्ता 11 फुट चौडा व 150 फुट लम्बा को बन्द नही करे, ना ही मिन वादीगण के पूर्वानुसारआवागमन में कोई अवरोध व बाधा, आपत्ति, रूकाकवट व मजाहमत व दखलअंदाजी पैदा करे व ना ही आराजी को कही रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल करे व रिर्कोडस व मोका की यथास्थिति बनाये रखे तथा वादीगण व उनके परिवारजनों उसके खसरा नम्बरान 324, 322 को निर्वाब व निरपेक्ष रूप से उक्त रास्ते के माध्यम से उपयोग व उपभोग करने दे।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(स) यह है कि अन्य दादरसी बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे वसूली जावे।
(द) खर्चा मुकदमा मिन वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। ।

प्रार्थीगण का विविध राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 154/2025 पर दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की सम्यक तामिल हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शशीकान्त शर्मा उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 07 की ओर से अधिवक्ता श्री सरजीत चौधरी उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 08, 09 की बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 07 की ओर से जबाव निम्न प्रकार से है कि :–

1. यह है कि पैरा स0 – 1 इतना स्वीकार है कि वादीगण वाद मे वर्णीत पते के निवासी है, बाकी पैरा गलत है, स्वकार नही है। वादीगण आपराधिक पवृति के व्यक्ति है, जो किसी भी कानून कायदे की परवाह नहीं करते है।
2. यह है कि पैरा स0 2 इतना स्वीकार है कि वादीगण ख0न0 324 व 322 वाके ग्राम मुण्डनवाडा कलां तह0 मुण्डावर के खातेदार है, जो आराजी वादीगण की पैत्रिक आराजी है।
3. यह है कि पैरा स0 3 सही है, स्वीकार है।
4. यह है कि पैर स0 4 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। वादीगण की आराजी मिन प्रतिवादीगण की आराजी ख0न0 335 के पश्चिमी डोल के साथ लगती हुयी है। तथा वादीगण किसी भी प्रकार से मिन प्रतिवादीगण की आराजी ख0 न0 335 में किसी भी प्रकार से आवागमन करने के अधिकारी नही है।
5. यह है कि पैरा स0 5 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। वादीगण ने जिम्मन हाजा मे समस्त तथ्य मिथ्या व मनघंडत दज्ज किया है, वादीगण स0 1 ल0 3 का पिता व वादी स० 4 का दादा हम प्रतिवादीगण के पिता के पिता/दादा/ससुर से किसी भी प्रकार से आराजी ख0न0 335 में से 11 फुट चौडा व 150 फुट लम्बा रास्ता कथित दिनांक को नहीं किया तथा ना ही कोई राशि का भुगतान किया है, यदि वादीगण के कथनानुसार मान भी लिया जावे कि वादीगण के पिताध्दादा द्वारा हम प्रतिवादीगण के पिता/दादा से कोई रास्ता कथित दिनांक को मुबलिंग 10,000/रू0 अदा कर लिया था, तो वादीगण द्वारा लिखतम क्यो नही करायी, जिससे साफ है कि वादीगण ने कथित दिनांक की कहानी मिथ्या व मनघंडत दर्ज की है।
6. यह है कि पैरा स0 6 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नहीं है। वादीगण ने जिम्मन हाजा में मिथ्या दर्ज किया है, वादीगण के पिता/दादा द्वारा किसी भी प्रकार से हग प्रतिवादीगण के पूर्वज से कोई रास्ता कथित दिनांक को आराजी ख0न0 335 में नहीं लिया तथा ना ही वादीगण व उनके पूर्वज द्वारा कभी हम प्रतिवादीगण की आराजी में से आवागमन किया है तथा ना ही कोई रास्ता हम प्रतिवादीगण की आराजी रहा है तथा वादीगण ने दर्ज किया है कि मौजूद लोगों के सामने मौखिक तौर पर रास्ता लिया है तो वादीगण द्वारा जिम्मन हाजा मतें मौजूद लोगों का नाम दर्ज किया किया जाता तथा मिन प्रतिवादीगण की आराजी में से

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

वादीगण व उनके पूर्वजों द्वारा कभी आवागमन नही किया है तथा ना ही वर्तमान में हम प्रतिवादीगण की आराजी में कोई रास्ता है।

7. यह है कि पैरा स0 7 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। वादीगण ने जिम्मन हाजा में समस्त तथ्य गलत दर्ज किया है।
8. यह है कि पैरा स0 8 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। वादीगण ने जिम्मन हाजा में मिथ्या तथ्य दर्ज किया है, जब वादीगण के पूर्वज द्वारा हम प्रतिवादीगण के पूर्वज से कोई रास्ता ही नहीं लिया तथा ना ही कोई प्रतिफल अदा किया है तो ऐसी सुरत में वादीगण द्वारा रास्ता के निशाल लगाने व पत्थर डालकर, पक्की चारदिवारी करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है तथा ना ही मिन प्रतिवादीगण की आराजी में कोई रास्ता है तथा ना ही वादीगण कभी हम प्रतिवादीगण की आराजी में आवागमन किया है तो हम प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के आवागमन में अवरोध पैदा करने का सवाल ही पैदा नही होता है। वाद वादीगण काबिले खारीज है। खारीज फरमाया जावे।
9. यह है कि पैरा स0 9 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। वादीगण ने जिम्मन हाजा में मिथ्या तथ्य दर्ज किया है तथा वादीगण के पूर्वज द्वारा हम प्रतिवादीगण के पूर्वज से कोई रास्ता के लिये भूमि खरीद नहीं की है, यदि मान भी लिया जावे कि वादीगण के पूर्वज द्वारा कथित दिनांक को हम प्रतिवादीगण के पूर्वज से रास्ता के लिये भूमि खरीद की थी तो वादीगण के पूर्वज द्वारा हम प्रतिवादीगंण के पूर्वज के जीवनकाल में उक्त रास्ता की भूमि का वैयनामा अपने नाम कराना चाहीए था, जिससे साबित है कि वादीगण के पूर्वज द्वारा हम प्रतिवादीगण के पूर्वज से कोई रास्ता की भूमि खरीद नहीं की है तथा ना ही वादीगण ने कभी हम प्रतिवादीगण की आराजी मे से आवागमन किया है।
10. यह है कि पैरा स0 10 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। वादीगण ने जिम्मन हाजा में समस्त कहानी मिथ्या व मनघंडत दर्ज की है, वादीगण व वादीगण के पूर्वज द्वारा द्वारा कभी हम प्रतिवादीगण के पूर्वज से कोई रास्ता की भूमि खरीद नहीं की है तथा जब आराजी ही खरीद नही की है तो बैयनामा कराने व आराजी में से रास्ता देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है तथा ना ही वर्तमान में कोई रास्ता हम प्रतिवादीगण की आराजी में रहा है तथा ना ही वादीगण ने कभी हम प्रतिवादीगण की आराजी में आवागमन किया है तो वादीगण किसी भी प्रकार से हम प्रतिवादीगण की आराजी में से रास्ता घोषित कराने के अधिकारी है। वाद वादी काबिले खारीज है।
11. यह है कि पैरा स० 11 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। वादीगण व वादीगण के पूर्वज द्वारा हम प्रतिवादीगण के पूर्वज से कोई रास्ता की भूमि खरीद नहीं है तथा ना ही कोई बारदिवारी कर, गेट लगाया है, यदि मान भी लिया जावे कि हम प्रतिवादीगण के पूर्वज से वादीगण के पूर्वज द्वारा रास्ता की भूमि खरीद कर, दिवार लगाकर गेट लगा लिया तो हम प्रतिवादीगण द्वारा अवरोध करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन वादी ने उक्त तथ्य मिथ्या दर्ज किये है, हम प्रतिवादीगण की आराजी में वादीगण द्वारा कोई दिवार नही लगायी है तथा ना ही कोई गेट लगाया है तथा ना ही कोई रास्ता हम वादीगण की आराजी रहा है तो कथित दिनांक को हम प्रतिवादीगण द्वारा एकराय होकर आने व रास्ता बन्द करने की धमकी देने का सवाल ही पैदा नही होता है तथा वादीगण को रास्ता चाहीए तो

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

वादीगण अदालत श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राज० काश्त० अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है।
अतः जवाब दावा पेशकर निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, नकल आधार कार्ड, नकल खसरा गिरदावरी, विवादित रास्ते का फोटोग्राफ, ट्रैस नक्शा नक्शानवीस पेश किये गये।

उभय पक्ष की बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-
(1) विवादित आराजी वाके ग्राम मुण्डनवाडा कला, तहसील मुण्डावर में स्थित है, जिस आराजी में प्रार्थी खातेदार दर्ज है। प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त है। उक्त आराजी में आने-जाने के लिए खसरा नं0 335 में रास्ता कदीमी चालू था। मौके पर दोनो पक्षों में विवाद है। यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में, नक्शें में दर्ज नही है।
(2) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 07.07.2025 को प्रार्थी द्वारा पेश प्रकरण संख्या 154/2025 पर दर्ज होकर प्रार्थना पत्र दिनांक 13.03.2026 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को रास्ता दिये जाने के आदेश दिए गए।

प्रार्थी काश्तकार, कृषक है, प्रार्थी खसरा नम्बर 324, 322 में कृषि करता है अन्य उपयोग नही हो रहा है। कृषक के लिए उसकी खातेदारी भूमि आजिविका का मुख्य आधार है। खेती के लिए रास्ता कृषक की आत्यान्तिक आवश्यकता है। न्यायालय का यह सम्यक समाधान है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मात्र जोत के सुविधापूर्ण उपयोग-उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि प्रार्थी की रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत/मकान में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी महत्वपूर्ण व सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है। न्यायालय आवेदक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को चाहा गया रास्ता दिया जाना न्यायोचित पाता है।

रास्ता :- अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 335 के डोल के सहारे सहारे से सार्वजनिक आम रास्ते/सडक है। व्यवहारिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण रास्ते 10 मीटर के प्रचलित है। राजस्व रिकार्ड में रकबा फीट या गज में दर्ज नहीं किए जाने के निर्देश है। मैट्रिक प्रणाली में ही दो दशमलव तक रकबा दर्ज किए जाने के निर्देश है। इससे भिन्न रूप में रकबे का नामान्तरकरण रिकार्ड में दर्ज योग्य नही है। रास्ते का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में अमल की दृष्टि से राउण्ड फिगर अर्थात हैक्टेयर के दो डेसिमल तक ही रखा जाने योग्य है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 335 में से 46 मीटर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

लम्बाई में व 03 मीटर चौड़ा रास्ता दिए जाने योग्य है। मौके पर संबंधित खसरो की लम्बाई निश्चित है। अतः रास्ते के रूप में दिये जाने वाले रकबे में खसरे की लम्बाई का भाग देकर रास्ते की चौड़ाई निर्धारित की जावे अर्थात रास्ते में दिए गए रकबे में लम्बाई के आनुपातिक चौडाई तय किये जाने योग्य है।

क्षतिपूर्ति :– क्षतिपूर्ति के बिन्दुओं पर सुना गया। पक्षकारान में सहमति नहीं बनी। अतः खसरा नम्बर 335 में नियमानुसार निर्धारित डीएलसी दर के दो गुणा के अनुसार प्रतिकार का भुगतान किया जाना उचित है। चाहे गये रास्ते की भूमि पर कोई निर्माण, पेड, फसल आज दिन नही है। डी.एल.सी. दर की गणना कर राशी राजकोष में जमा करावें, राजस्व रिकोर्ड में गैर मुमकिन रास्ता बाबत अमल दरामद होने के पश्चात राशी नियमानुसार अप्रार्थीगण को दिलाई जावे।

राज्य सरकार ने प्रचलित रास्तो को रिकार्ड में दर्ज करने के सम्बन्ध में वर्तमान में अभियान चला रखा है जिसके सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश राजस्व विभाग द्वारा जारी किये गये है। प्रकरण उक्त परिपत्र की सीमा में भी आता है जिसके तहत स्वतः ही प्रचलित कदीमी आम रास्ते रिकार्ड में दर्ज किये जाने योग्य है। न्यायालय उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः वाके ग्राम मुण्डनवाडा कलां तहसील मुण्डावर स्थित अनावेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 335 रकबा 0.25 हैक0, मे से 46 मीटर लम्बाई में व 03 मीटर चौडाई में, प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 324 तक आने जाने के लिए रास्ते के रूप में दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप मे दर्ज की जावे। रास्ते को परिशिष्ट–अ में A से B तक दिखाया गया है। परिशिष्ट–अ निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। मुआवजे की गणना कर राशी राजकोष में जमा कराई जावे बाद अमल राजस्व रिकोर्ड गैर मुमकिन रास्ता तहसीलदार मुण्डावर प्रतिकार का भुगतान अप्रार्थीगण को राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार करावे। अनावेदक को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी को उपलब्ध करवाए गए उक्त रास्ते के उपयोग, उपभोग मे किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। राजकोष में राशी जमा होने पर तहसीलदार मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह/पत्थरगढी करते हुए पृथक से खसरा नम्बर कायम कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किया जाकर रास्ता सुचारू रूप से चालू कराया जावे। यह रास्ता समस्त प्रकार के ऋण, भार, प्रभार से मुक्त होगा। पालना हेतु तहसीलदार मुण्डावर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

आदेश दिनांक 17/3/26 के अनुसार 03 मीटर के स्थान पर 3.4 मीटर चौड़ा पढ़ा जावे। इस आदेश अनुसार संशोधित।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

दावा संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
154 / 2025	07.07.2025	15.12.2025

बउनवान

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी मुण्डनवाडा कला हाल निवासी मकान न0 21 शास्त्री नगर मैडिकल कालोनी मन्नाका रोड, दाउदपुर, अलवर, राज0।
2. रामावतार
3. सुरेशचन्द पुत्रान श्री रामचन्द्र
4. विशाल पुत्र रमेशचन्द जातियान ब्राहमण निवासीयान मुण्डनवाडा कलां तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादी / अप्रार्थी

बनाम

1. रामप्रताप उर्फ लाला
2. सत्यनारायण पुत्रान बनवारीलाल
3. प्रदीप
4. राहूल पुत्र दिनेश कुमार
5. आशा
6. सोना पुत्रीयान दिनेश कुमार जातियान ब्राहमण
7. रामकलां पत्नी दिनेश कुमार जातियान ब्राहमण निवासीयान मुण्डनवाडा कलां तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
8. गोपाल सिंह यादव पुत्र होशियार सिंह जाति अहीर निवासी मोलावास तह0 मुण्डावर
9. दुलीचन्द यादव पुत्र चिरंजीलाल जातियान अहीरान निवासीयान मुण्डनवाडा कलां तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
10. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
11. उप पंजियक महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

प्रतिवादी / प्रार्थी

दावा घोषणात्मक व्यादेश मय हु0 ई0 दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 सपठित धारा 251 क
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी / प्रतिवादी वकील –: श्री सरजीत चौधरी
अप्रार्थी / वादी वकील –: श्री बाबूलाल शर्मा

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी 01 प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. यह है कि उपरोक्त अनुवानी वाद अदालत श्रीमान में विचाराधीन है। जिसमें आज की तारीख पेशी नियत है।
2. यह है कि वादी द्वारा द्वारा अदालत श्रीमान के समक्ष एक वाद इश्तकरारहक मय दूरूस्ती वो हु० ई० दवामी का इस आश्य का पेश किया, तथा दावा के जिम्मन न० 6 में यह वर्णीत किया है कि ख0न0 324 व 322 प्रतिवादीगण के ख०न० 335 की पश्चिमी डोल से लगते हुये हुये है तथा हम प्रतिवादीगण के आवागमन का रास्ता ख0न0 335 में रहा है। तथा हम हम वादी के पूर्वज द्वारा मुबलिंग 10,000/- रू0 में प्रतिवादी स० 1 ल० 3 की मौजूदगी में उनके पिता स्व० श्री रामचन्द से दिनांक 5/6/84 को उनके खेत ख०न० 335 में नगद चुकता कर, रास्ता प्राप्त कर लिया तथा निशानात कायम कर पत्थर लगा दिये तथा रास्ता तय कर दिया, जब वादीगण के पूर्वज रास्ता बेएवज प्रतिफल खरीद किया है तथा इकरारनामा या मौखिक खरीद किया गया रास्ता संविदा अधि० के तहत आता है तथा तथा संविदा अधि० के तहत प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अदालत श्रीमान को नही होकर, सिविल न्यायाधीश को होती है। इसलिए वादी का वाद क्षेत्राधिकार में अभाव में होकर श्रवण योग्य अदालत श्रीमान में है। इसलिए दावा वादी काबिले खारीज है। खारीज फरमाया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 जा०दी० पेशकर निवेदन है कि वादी का वाद अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण काबिल खारीज है। खारीज फरमाया जावे, यदि अदालत श्रीमान द्वारा दावा खारीज नही किये जाने की सुरत में प्रार्थना पत्र आदेश 26 निय 9 व सपठित धारा 151 के जवाब का समय दिया जाने की कृपा करे।

जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 जा० दी० मिन जानिब अप्रार्थी/वादी की ओर निम्न प्रकार से पेश है :-

प्रारंभिक आपत्ति

1. यह है कि श्रीमानजी श्रीमान हाजा अदालत में हस्तगत वाद में मूल रूप से व सारभूत, विनिश्चायक व ज्वलंत विवाधक बिन्दू बाबत विवादित रास्ते अन्तर्वलित है चूँकि मिन जानिब अप्रार्थी/वादी की कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजीयत/खसरा नंम्बरान 322,324 प्रार्थी/प्रतिवादी की आराजी खसरा नं0 335 की पश्चिमी डोल से लगती हुई है जिस बाबत एक नक्शा भी श्रीमान हाजा अदालत पत्रावली में पेश किया हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

2. यह है कि मिन जानिब अप्रार्थी/वादी को अपने खसरा नम्बरान 322, 324 में बाबत किये जाने काश्त व आने जाने हेतु मुख्य आम रास्ते से प्रतिवादी /प्रार्थी की खसरा नं0 335 जो विवादित आराजी के पूर्व में है उसमें से होकर ही आना जाना पडता है। और इसके अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है।

3. यह है कि राज० काश्त० अधि० 1955 की सुव्यवस्थाओं के तहत भी यह प्रावधान है कि जिस खातेदार को अपने खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता हो तो उसके साथ लगती हुई खातेदार की आराजी में से चाह गये प्राप्त रास्ते की भूमि उस खातेदार से नियमानुसार नियत किये गये, प्रतिफल को चुकाकर रास्ते की भूमि बाबत धन चुकाकर रास्ते की भूमि लेने का हक व हकूक है जो विधि की दृष्टि में मान्य व वैध है चूँकि प्रार्थी/प्रतिवादी ने दुराश्यता से बदयान्ति से रंजिशवंश व बेईमानी से प्रेरित होकर वर्तमान में जो रास्ता कायम है, उसका खुलासा न तो अपने जवाब दावे के अभिकथनों में कथन किया और न ही इस हस्तगत प्रार्थना पत्र में खुलासा किया तथा सत्यात्मक तथ्यों को जानबुझकर छुपाते हुए शुद्धहस्त से दरख्वास्त पेश नहीं की है जो मय भारी हर्जे खर्चे के काबिलें खारिज है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संविदात्मक, संव्यवहार होने का कोई सरोकार नहीं है।

पैरावाईज जवाब

1. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा जिम्मन नं0 1 जो श्रीमान अदालत से संबंधित है।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा जिम्मन नं0 2 के समस्त अभिकथन पूर्णरूपेण आधारहीन, बेबुनियाद, बनावटी, झूठे व बेजा तंग व परेशान करने वाले है तथा मिन जानिब अप्रार्थी/वादी के प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बा खीचने की दुराश्यता से हस्तगत प्रार्थना पत्र संस्थित या दायर किया गया है चूँकि हस्तगत प्रार्थना पत्र में आक्षेपित कथन जा० दी० की प्रश्नगत व्यवस्था के तहत नहीं आते।

अतः जवाब हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रश्नगत दरख्वास्त को उपरोक्त कथित तथ्यों, घटनाओं व परिस्थितियों तथा पत्रावली पर मौजूद सामाग्री की दृष्टि में दरख्वास्त काबिलें खारिज है इसलिए हस्तगत प्रार्थना पत्र को मय भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज फरमाया जावे। चूँकि प्रार्थी/प्रतिवादी का मुख्य मकसद प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बा खीचना और श्रीमान अदालत का बहुमूल्य वक्त जाया करना है। दरख्वास्त खारिज फरमायी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

प्रार्थी/प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता की बहस

प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सरजीत चौधरी ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर बहस करते हुए निवेदन किया कि–

1. यह कि अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वस्तुतः खातेदारी अधिकारों से सम्बद्ध न होकर एक कथित संविदात्मक रास्ते पर आधारित है, जिसे स्वयं वादी ने अपने वाद–पत्र के जिम्मन में स्वीकार किया है।
2. यह कि वादी द्वारा यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि विवादित रास्ता वादी के पूर्वजों द्वारा प्रतिवादी के पूर्वज से रु. 10,000/– नगद भुगतान कर क्रय किया गया, जो कि पूर्णतः संविदा अधिनियम के अंतर्गत आता है।
3. यह कि संविदात्मक अधिकारों से उत्पन्न विवाद का विचारण राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, अपितु ऐसे प्रकरणों का विचारण माननीय सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।
4. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत केवल खातेदारी अधिकारों से सम्बद्ध विवादों का ही विचारण किया जा सकता है, जबकि वर्तमान वाद में वादी स्वयं संविदात्मक आधार पर रास्ता प्राप्त करने का दावा कर रहा है।
5. यह कि न्यायालय को क्षेत्राधिकार का अभाव होने के कारण वाद आदेश 07 नियम 11 जा० दी० के अंतर्गत प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किया जाना न्यायोचित है।

अतः विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वाद क्षेत्राधिकार के अभाव में काबिल–ए–खारिज है तथा वादी का दावा निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी/वादी पक्ष के अधिवक्ता की बहस

अप्राथी/वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बाबूलाल शर्मा ने प्रार्थी पक्ष की बहस का खण्डन करते हुए न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया कि–

1. यह कि वर्तमान वाद का मूल एवं सारभूत विवाद खातेदारी भूमि में आने–जाने के रास्ते से सम्बन्धित है, न कि किसी संविदात्मक लेन–देन से।
2. यह कि वादी की खातेदारी आराजियाँ खसरा नम्बर 322 व 324, प्रतिवादी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 335 की पश्चिमी डोल से संलग्न हैं तथा खातेदारी भूमि तक पहुँचने हेतु विवादित आराजी से होकर ही आवागमन संभव है।
3. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में खातेदार को यह वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है कि वह आवश्यकता होने पर संलग्न खातेदारी भूमि से नियमानुसार प्रतिफल अदा कर रास्ता प्राप्त कर सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

4. यह कि प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा दुर्भावनावश एवं दुराशय से वास्तविक तथ्यों को छुपाकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि विवादित रास्ता वर्षों से अस्तित्व में है।
5. यह कि आदेश 07 नियम 11 जा० दी० के अंतर्गत वाद तभी खारिज किया जा सकता है जब वाद–पत्र के कथनों से ही स्पष्ट हो कि वाद विधि द्वारा वर्जित है, जबकि वर्तमान वाद में ऐसा कोई स्पष्ट प्रतिबन्ध नहीं है।
6. यह कि प्रार्थी/प्रतिवादी का उद्देश्य मात्र प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित करना एवं न्यायालय के बहुमूल्य समय का दुरुपयोग करना है।

अतः विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आदेश 07 नियम 11 जा० दी० का प्रार्थना पत्र निराधार है तथा इसे मय हर्जाना–खर्चे के साथ खारिज किया जावे।

विस्तृत विवेचन

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी गईं।

यह निर्विवाद है कि वादी की खातेदारी आराजियाँ खसरा नम्बर 322 व 324, प्रतिवादी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 335 की पश्चिमी डोल से संलग्न हैं। वादी का कथन है कि अपने खातेदारी खेतों में कृषि कार्य एवं आवागमन हेतु विवादित आराजी से होकर ही आना–जाना संभव है तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि तक पहुँचने हेतु रास्ते की आवश्यकता होती है, तो वह विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत संलग्न खातेदारी भूमि से नियमानुसार प्रतिफल चुकाकर रास्ता प्राप्त करने का अधिकार रखता है। ऐसा विवाद विशुद्ध रूप से खातेदारी अधिकारों एवं रास्ते के निर्धारण से सम्बद्ध है।

प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा यह तर्क कि रास्ता संविदात्मक रूप से क्रय किया गया था तथा इस कारण सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार है, इस स्तर पर स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता। आदेश 07 नियम 11 जा० दी० के अंतर्गत वाद को तभी खारिज किया जा सकता है जब वाद–पत्र के कथनों से ही यह स्पष्ट हो जाए कि न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। वर्तमान प्रकरण में वाद–पत्र के अवलोकन से ऐसा कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकलता।

प्रथमदृष्टया वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धाराओं 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत सुनवाई योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र के माध्यम

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (खैरथल-तिजारा)

से विवाद के गुण–दोष में प्रवेश कर वाद को प्रारम्भिक स्तर पर खारिज करना विधिसंगत नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आदेश 07 नियम 11 जा० दी० सहपठित धारा 151 जा० दी० का प्रार्थना पत्र निरस्त/खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज०

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

आवेदक ...
को पेश करें।

11/3/26 पत्रावली पेश। वादीगण पक्षकार उपस्थित। पत्रावली पेश। वादीगण पक्षकार उपस्थित [illegible] का कहना है कि [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] पत्रावली को मांग है [illegible] कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे [illegible] कार्यवाही [illegible] के पत्रावली का [illegible] पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर